



LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Friday, December 8, 2023 / Agrahayana 17, 1945 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. Kirit P. Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Shrirang Appa Barne

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, December 8, 2023 / Agrahayana 17, 1945 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
RESIGNATION BY MEMBERS	1
NOMINATION TO PANEL OF CHAIRPERSONS	1
...	2 – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 81 – 100)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 921 – 956, 958 – 1147, 1149 – 1150)	51 – 280



सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, December 8, 2023 / Agrahayana 17, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, December 8, 2023 / Agrahayana 17, 1945 (Saka)

<u>C O N T E N T S</u>	<u>P A G E S</u>
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 87
COMMITTEE ON ETHICS 1 st Report	288
STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS 20 th Report	288
STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTUE 360 th to 363 rd Reports	288 - 89
BUSINESS OF THE HOUSE	289 - 90
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	291 - 93
Shri Abdul Khaleque	291
Shri Rajmohan Unnithan	292
Shri P.V. Midhun Reddy	292
Shri Rajendra Dhedya Gavit	293
Shri Sunil Kumar	293
MOTION RE: FIRST REPORT OF COMMITTEE ON ETHICS	294 - 314
Motion for Consideration	
Shri Pralhad Joshi	294

...	294 - 95
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	296 - 97
Shri Manish Tewari	297 - 301
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	301 - 03
Shri Sudip Bandyopadhyay	304 - 05
Shri Kalyan Banerjee	306 - 09
Shri Giridhari Yadav	310 - 12
Shrimati Aparajita Sarangi	313
Motion for Consideration– Adopted	314
MOTION RE: CONCURRENCE WITH RECOMMENDATIONS IN FIRST REPORT OF COMMITTEE ON ETHICS	314
MOTION RE: EXPULSION OF SHRIMATI MAHUA MOITRA, MP BASED ON FIRST REPORT OF COMMITTEE ON ETHICS	315 - 16

(1100/SPS/MMN)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट रुक जाइए। मैं पहले दो विषय मेंशन कर दूँ।

... (व्यवधान)

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र

1100 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि निम्नलिखित निर्वाचित माननीय लोक सभा सदस्यों ने अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है:—

1. छत्तीसगढ़ सरगुजा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमती रेणुका सिंह सरूता,
2. राजस्थान के अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री बालक नाथा

मैंने दिनांक 7 दिसंबर, 2023 से इन सदस्यों के त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिया है।

सभापति-तालिका के लिए नाम-निर्देशन

1101 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत मैंने श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामित किया है।

(pp. 2-30)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, एक छोटी सी बात रखने का मौका दीजिए। ... (व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : सर, अन्याय हो रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल में थोड़े ही अन्याय हो रहा है। क्या कोई विषय है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, अभी कोई विषय नहीं आया है। अभी आप प्रश्न काल की बात कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, सदन में महिला सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी हम कोई विषय नहीं लाए हैं। आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? क्या प्रश्न काल में कोई विषय है?

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, सदन के अंदर महिला सांसद का पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। यह क्या हो रहा है? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल आपका समय है। इसमें आप सब प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं प्रश्नों पर आप सबको बोलने की अनुमति दूंगा। जब वह विषय टेबल होगा, तब आप बात कीजिएगा। अभी विषय नहीं आया है। आप किस बात पर बोल रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, एक सेकंड बोलने दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, यह संसद की नियम और प्रक्रियाओं के तहत नहीं है। लिस्ट ऑफ बिज़नेस में है, लेकिन जब मैं लिस्ट ऑफ बिज़नेस का विषय रखूं, तब आप अपनी बात रखना। मैं उस विषय पर भी आपको अपनी बात रखने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, हम चलाना चाहते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं प्रश्न काल चलाने के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न काल महत्वपूर्ण है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1104 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/MM/VR)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत हुई।(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर-2, श्रीपाद येसो नाईक जी।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table:

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Kamarajar Port Limited, Chennai, for the year 2022-2023.
 - (ii) Annual Report of the Kamarajar Port Limited, Chennai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Syama Prasad Mookerjee Port Authority, Kolkata, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Syama Prasad Mookerjee Port Authority, Kolkata, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Syama Prasad Mookerjee Port Authority, Kolkata, for the year 2022-2023.

- (iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Syama Prasad Mookerjee Port Authority, Kolkata, for the year 2022-2023.
- (3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Cochin Port Authority, Kochi, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Cochin Port Authority, Kochi, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cochin Port Authority, Kochi, for the year 2022-2023.
- (iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Cochin Port Authority, Kochi, for the year 2022-2023.
- (4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Authority, Mormugao, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Authority, Mormugao, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mormugao Port Authority, Mormugao, for the year 2022-2023.
- (iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Mormugao Port Authority, Mormugao, for the year 2022-2023.
- (5) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2022-2023.

- (iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2022-2023.
- (6) (i) A copy of the Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2022-2023.

माननीय सभापति : हुआ क्या है? आप लोग बैठ जाइए। आप कृपया बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-3, प्रो. एस.पी. सिंह बघेला।

... (व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): सभापति महोदय, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) का.आ. 3859(अ) जो 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के राज्यक्षेत्र बोर्ड में संबंधित श्रेणियों में उसमें उल्लिखित सदस्यों को, सदस्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (2) का.आ. 4079(अ) जो 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 तथा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रयोजनार्थ दिनांक 4 मई, 2022 के समसंख्यक अधिसूचना के पैरा (छ) को अशोधित करके राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड की संशोधित संरचना को अधिसूचित किया गया है।
- (3) का.आ. 4554(अ) जो 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 तथा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रयोजनार्थ दिनांक 4 मई, 2022 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा (घ)(दो) को संशोधित करके राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड की संशोधित संरचना को अधिसूचित किया गया है।

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-4, श्री अजय भट्ट जी।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल मेघवाल जी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, मैं माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2022 - 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सेंटर फॉर एयर पॉवर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर एयर पॉवर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2043 की धारा 394 की उप-धारा (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलुरु का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-द-गामा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-द-गामा का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ.) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलुरु का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) टूप कम्फर्ट्स लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टूप कम्फर्ट्स लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ञ) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (पांच) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (छह) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन। ... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (DR. R.K. RANJAN SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Campus Development Project, South Asian University, New Delhi, for the year ended 31st December, 2022, together with Audit Report thereon.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Campus Development Project, South Asian University, New Delhi, for the year ended 31st December, 2022. ... *(Interruptions)*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940:-
 - (i) The Drugs (Eighth Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.823(E) in Gazette of India dated 17th November, 2022.
 - (ii) The New Drugs and Clinical Trials (Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.175(E) in Gazette of India dated 13th March, 2023.
 - (iii) The Medical Devices (Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.409(E) in Gazette of India dated 2nd June, 2023.
 - (iv) The Drugs (Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.410(E) in Gazette of India dated 2nd June, 2023.
- (2) A copy of the National Commission for Allied and Healthcare Professions 6th (Removal of Difficulties) Order, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.4773(E) in Gazette of India dated 3rd November, 2023, under sub-section (2) of Section 69 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021. ... *(Interruptions)*

1204 hours

*(At this stage, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members
Came and stood near the Table.)*

... (Interruptions)

आचार समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): महोदय, मैं आचार समिति का पहला प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ... (व्यवधान)

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

20वां प्रतिवेदन

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): महोदय, 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

(1205/YSH/SAN)

... (Interruptions)

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

360th to 363rd Reports

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, I rise to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

(1) Three Hundred Sixtieth Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Three Hundred Forty First Report on Demands for Grants (2023-24) of Ministry of Ports, Shipping and Waterways;

(2) Three Hundred Sixty First Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Three Hundred Twenty Fifth Report on 'Issues relating to Road Sector';

(3) Three Hundred Sixty Second Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Three Hundred Forty Second Report on Demands for Grants (2023-24) of Ministry of Road Transport and Highways; and

(4) Three Hundred Sixty Third Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Three Hundred Twenty Fourth Report on 'Issues relating to Untraceable Monuments and Protection of Monuments in India'.

... (Interruptions)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: अभी रिपोर्ट केवल सदन के पटल पर प्रस्तुत हुई है। उस पर निर्णय सदन करेगा।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज, सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Arjun Ram Meghwal.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please listen to the hon. Minister. He is reading the statement.

... (Interruptions)

BUSINESS OF THE HOUSE

1206 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 11th of December, 2023 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper [it contains: - (i) Discussion and voting on First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2023-24 and introduction, consideration and passing of the Appropriation (No. 3) Bill, 2023; (ii) Discussion and voting on the Demands for Excess Grants for the year 2020-21 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation (No. 4) Bill, 2023; and (iii) Consideration and passing of the Post Office Bill, 2023].
2. Consideration and passing of the following Bills:-
 - (i) The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023;
 - (ii) The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;
 - (iii) The Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023;

- (iv) The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2023; and
- (v) The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023.
3. Consideration and passing of the Press and Registration of Periodicals Bill, 2023, as passed by Rajya Sabha.
4. Consideration and passing of the following Bills, after their introduction:-
(i) The Central Goods and Services Tax (Second) Amendment Bill, 2023; and
(ii) The Provisional Collection of Taxes Bill, 2023.
5. Consideration and passing of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023, after it is passed by Rajya Sabha.

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1207 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/RAJ/SNT)

1402 बजे

लोक सभा दो बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत हुई।
(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

माननीय अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा के सदन पटल पर रख सकते हैं।

Re: Need to compensate the martyrs of democracy

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): The nation is debating over the issue of saving democracy and compulsory voting. But as a nation, what have we done to safeguard the voters who go to polling stations to keep the flag of democracy flying? There have been umpteen number of cases where voters have lost their lives while upholding democracy would like to remind the House that thousands of lives were lost at Nellie and other places of Assam in 1983 while upholding democracy, but nothing has been done so far to honour the martyrs of democracy. No compensation is given to the families of those who lost their lives or any kind of assurances from the government. However, the feeling is that it is only for the electorate to uphold democracy. The government too needs to act in this regard. There is a need to safeguard those who vote. All democratic institutions must be strengthened and no organisation should stand as a hurdle in the democratic process. Therefore, I urge upon the Union Minister of Home Affairs to compensate the martyrs of democracy adequately and set up a system by which martyrs and if any, in future, are honoured and their families taken care of.

(ends)

Re: Stoppage of trains at Kasargod station in Kerala

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Kasargod is suffering mostly by due to the step-motherly attitude of the Railways towards the North Malabar. Most of the trains coming from South Kerala terminates at Kannur and thereby Kasaragod is isolated from the rest of Kerala. Most of the Konkan trains have no stoppage at Kasargod district. When the railway passengers of Kasargod ventilate their grievances and demand more trains, reinstating the suspended stops and to solve the train travel woes experienced in the district during evening and night time, the Railway rejects them citing poor patronage in the stations in Kasaragod. It is illogical to look at Kasargod district through the prism of revenue, since Mangalore is a central destination station, after Kannur in this region. Stops have been sanctioned at many other places where the income is less than the stations in Kasaragod where the stoppages have been refused. The stoppages were suspended during the Covid epidemic at many stations like Kanhangad, Payyannur, Payangadi, Kannapuram etc. Kumbala have 30 Acres unutilised land These stoppages have not been reinstated despite many requests. Hence, I request the Hon'ble Minister of Railways to reinstate the suspended stoppages and to sanction the long-demanded stoppages at many stations having high passengers and good revenue. (ends)

Re: Need to regulate the use of Artificial Intelligence (AI) in the country

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): India benefits from the use of Artificial Intelligence (AI) practices and initiatives to meet societal demands in sectors like healthcare, education, agriculture, smart cities, and Infrastructure, including smart mobility and transportation, using such dynamic data. In order to hold developers and users responsible for any damage caused by AI technology, measures must be put in place as AI gets more complicated and autonomous. An important concern is the potential for AI to propagate biases or discriminate against specific populations. If passed, the Personal Data Protection Bill would be a great benefit. Additional clauses could be added to deal with particular problems such as data anonymization, permission procedures, and cross-border data flows. The rising cases of misuse of AI such as ChatGpt in academia, hinder innovation and block creativity. India should collaborate closely with countries that have enacted legislation, such as the United States, the European Union (the AI Act categorises AI into four severity levels), Canada (the Artificial Intelligence Data Act, which lays the groundwork for the design, development, and deployment of AI), Spain, the Philippines, and others. Thus, I request that the Government consider the need for AI regulation laws in the country for the well-being of citizens. (ends)

Re: Need for compilation and publication of data pertaining to tribal people on the official website of the Ministry Tribal Affairs

श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित (पालघर): मैं आपका ध्यान एक गंभीर मामले की ओर आर्कषित करना चाहता हूँ जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है- हमारे देश में आदिवासी आबादी पर व्यापक डेटा का अभाव। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, जनजातियाँ भारत की जनसंख्या का 8.6% हैं। हालांकि, जनजातीय मामलों का मंत्रालय वर्तमान में डेटा के लिए अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों पर निर्भर है। विभिन्न संकेतकों को शामिल करते हुए एक डेटाबेस स्थापित करना अनिवार्य है, जो सूचित नीति निर्माण, विकास पहल और अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आधार के रूप में काम करेगा। इसके अलावा, यह विकास कार्यक्रमों की प्रगति और प्रभावशीलता की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करेगा। मैं जनजातीय मामलों के मंत्रालय से डेटा के संकलन और एक व्यापक डेटाबेस के निर्माण पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ, जिसे इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सके। यह पहल निस्संदेह मौजूदा डेटा की कमी को दूर करने और आदिवासी समुदायों के लिए अधिक प्रभावी और अनुरूप शासन की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

(इति)

Re: Need to run a passenger train between Bagaha and Patna in Bihar

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर): मैं रेल मंत्री जी का ध्यान महत्वपूर्ण विषय के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूँ। वाल्मीकिनगर भारत नेपाल की सीमा पर अवस्थित है, यहां से राज्य की राजधानी पटना की दूरी 250 किलोमीटर से भी अधिक है। लोकसभा क्षेत्रवासियों को बेहतर इलाज, व्यापार तथा अन्य कार्यों हेतु पटना आना जाना पड़ता है। जिसके लिए उन्हें अधिक यात्रा शुल्क देना पड़ता है तथा समय भी अधिक लगता है। बगहा से पटना के लिए सवारी गाड़ी के परिचालन हेतु मैं लगातार प्रयासरत हूँ, मैंने रेल मंत्री तथा रेलवे चेयरमैन से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया था, और आश्वासन भी मिला था कि जल्द सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू हो जाएगा। दो वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है। अतः मैं सदन के माध्यम से रेल मंत्री से पुनः मांग करता हूँ कि बगहा से पटना के बीच सवारी गाड़ी का परिचालन जनहित में यथाशीघ्र शुरू किया जाए।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

MOTION RE: FIRST REPORT OF COMMITTEE ON ETHICS

1402 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND
MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move:

“That this House do take up for the consideration the First Report of the Committee on Ethics on complaint dated 15 October, 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mahua Moitra, MP for alleged direct involvement in the cash for query in the Parliament with reference to the examination/investigation of unethical conduct of Shrimati Mahua Moitra, MP laid on the Table of the House on 08 December, 2023.” ... (*Interruptions*)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): अध्यक्ष महोदय, आप सुश्री महुआ जी को बोलने का मौका दीजिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट।

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the copy of the Motion is not with us. We do not have the copy of the Motion. ... (*Interruptions*)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): वह कॉपी अपलोड हो गयी है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज जिस विषय पर विचार किया जा रहा है, वह विचार और प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, वह हम सभी के लिए पीड़ादायक भी है, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आते हैं, जब इस सभा को अपने प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उचित निर्णय लेने होते हैं।

माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र नियमों, उच्च मर्यादाओं से चलता है। यह सदन हमारे देश का सर्वोच्च पीठ है। पिछले 75 वर्षों की हमारी लांकतांत्रिक यात्रा में हमारे सदन की, हमारे लोकतंत्र की एक ऊंची मर्यादा स्थापित हुई है। पूरा देश उच्च संसदीय परंपराओं के लिए हमारी ओर देखता है। इन्हीं उच्च परंपराओं की बदौलत हमारे लोकतंत्र की पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान है।

(1405/KN/AK)

माननीय सदस्यगण, पिछले 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में हमारा लोकतंत्र निरंतर सशक्त और परिपक्व हुआ है। जनता के बीच हमारी विश्वसनीयता लगातार बढ़ी है। जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है कि हम उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी आशाओं और उनकी आकांक्षाओं को इस सदन में बैठकर पूरा कर सकें। लेकिन हमारे लोकतंत्र की इस गौरवशाली यात्रा

में समय-समय पर हमारे सामने ऐसे अवसर भी आए हैं, जब हमने इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और सदन के उच्च मापदण्डों को बनाए रखने के लिए उचित निर्णय भी किए हैं। इस सदन की उच्च मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्य, ऐसे मूल सिद्धांत हैं, जिनसे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम शुद्ध अंतःकरण से ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। हम अपने उच्च आचरण में शुद्धता रखें, शुचिता रखें, अपने व्यवहार से, किसी प्रकार से किसी को कष्ट न हो। हमारे व्यवहार से हमारे कार्य में कोई संदेह न हो, हमारा आचरण ऐसा न हो, जिससे कि लोकतंत्र की उच्च मर्यादा और प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचे। इस सदन की विशिष्टता और उच्च मापदण्डों को बनाये रखना तथा उन्हें संवर्धित करना इस सदन के सदस्य के रूप में हम सब का सामूहिक और सर्वोच्च दायित्व है।

माननीय सदस्यगण, मैं समझता हूँ कि हम सब यहां पर जिस बात पर विचार करने जा रहे हैं, हम सब उस पर सामूहिकता से विचार कर रहे हैं, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, संवेदना के साथ विचार कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी सदस्य को मैं सदन से न निलंबित करूं और न कभी कोई कार्रवाई करूं। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिले। समय-समय पर मैंने कोशिश भी की कि सदन की मर्यादा बनी रहे और यदि उस मर्यादा को बनाने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी करने पड़े तो सदन की मर्यादा के लिए करने पड़े। इसलिए आज भी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, उसमें मर्यादा, सदन की गरिमा हम सब के लिए सबसे ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में इस सदन के गौरव, सम्मान, नैतिकता और अस्मिता को अक्षुण्ण रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुझे आशा है कि इस विषय पर जब हम चर्चा करें, तो सदन की मर्यादा, उच्च कोटि की मर्यादा और पूरे देश में इस सदन के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बना रहे। व्यक्तिगत रूप से भी जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, व्यक्तिगत आचरण में भी हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम लोकतंत्र की उच्च मर्यादा को कायम रख सकें। मैं नियम 316ई (2) के विषय पर अधिकतम आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देता हूँ।

Motion moved :

*“That this House do take up for the consideration the First Report of the Committee on Ethics on complaint dated 15 October, 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mahua Moitra, MP for alleged direct involvement in the cash for query in the Parliament with reference to the examination/investigation of unethical conduct of Shrimati Mahua Moitra, MP laid on the Table of the House on 08 December, 2023.”

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): सर, इतनी पार्टियां यहां पर हैं और आधे घंटे में यह नहीं होगा। आप प्लीज थोड़ा टाइम तो बढ़ाइये। आधे घंटे में सब पार्टियां कैसे बोल पाएंगी।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आपने अपनी पीड़ा जताई और यह सुनकर हमें यह यकीन हो रहा है कि कम से कम कोई हमारे साथ रहे या न रहे, हमारे स्पीकर साहब एक कस्टोडियन होने के नाते सही दिशा में सही निर्णय जरूर लेंगे।

सर, मैं दो-तीन छोटी सी बातें कहूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी जी इस पर अपनी बात रखेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज 12 बजे के बाद एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट ले हुई है।

(1410/VB/UB)

इसके साथ-साथ, आपने दो बजे से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी है। हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, मैं उसे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें 106 पेजेज हैं। केवल यही नहीं, सारे एनेक्सचर वगैरह मिलाकर इसमें कुल 495 पेजेज हैं।

मेरे मन में यह सवाल आता है, चाहे कोई मेम्बर हो या जो भी हो, इतनी जल्दी में, मतलब केवल दो घंटे की मोहलत में, अभी दो घंटे भी नहीं हुए हैं, 12 बजे के बाद, यहाँ से निकलने के बाद उसको डाउनलोड करते-करते आधा-पौना घंटा निकल चुका है। फिर भी इसमें 406 पेजेज हैं। आप यह कहें कि क्या किसी मनुष्य की इतनी क्षमता है कि इतनी जल्दबाजी में सारे पेपर्स को पढ़ ले और यदि उसके अन्दर कोई गलती है तो क्या वह बारीकी से जानकारी लेने में कामयाब हो सकता है, आप बताइए?

मैं यह केवल कॉमनसेंस के आधार पर पूछना चाहता हूँ। इसलिए मैंने मेरी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपसे यह मांग भी रखी है कि तीन-चार दिनों की मोहलत दी जाए ताकि इस बीच हम लोग इसे सही ढंग से पढ़ें, इस पर विचार-विमर्श करें। उसके बाद इस पर सही ढंग से चर्चा की जाए, जैसा कि आप चाहते हैं। सदन की मर्यादा को रखते हुए, उच्चकोटि की मर्यादा का पालन करते हुए, हम लोग इस पर सदन में विस्तार से चर्चा करें क्योंकि यह एक छोटा मुद्दा नहीं है। यह एक नज़ीर बनकर जाएगा। यह नया सदन एक नज़ीर बनाने जा रहा है। इसलिए इस नज़ीर में कोई खामी न रहे।

मैं छोटी-सी बात कहना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी न्यायालय में अगर किसी को मौत की सज़ा होती है, तो न्यायाधीश उससे पूछता है कि आपको कुछ कहना है। इसको हम नैचुरल जस्टिस बोलते हैं। *Audi alteram partem* एक शब्द है, जिसे रूल में देखते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसके खिलाफ कोई शिकायत है, तो नैचुरल जस्टिस के तहत उसको बोलने का मौका देना चाहिए।

जैसे कि महुआ मोइत्रा का नाम लिया गया है, उनका जिक्र किया गया है, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। आप खुद बताइए सर। मैं इसे आपके विचार पर छोड़ रहा हूँ।

यह नया सदन एक नये ... (*Expunged as ordered by the Chair*) अध्याय का आगाज़ न करो... (व्यवधान)

यह मेरी शंका है... (व्यवधान) जिस सदन में महिलाओं को महिमामंडित किया जाता है, ... (व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, this has to be expunged. ... (*Interruptions*). That has to be expunged. ... (*Interruptions*) सर, यह क्या चल रहा है? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम ... (*Expunged as ordered by the Chair*) शब्द को हटा देंगे।
... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : सर, चर्चा मेरिट पर होनी चाहिए। जो विषय रिपोर्ट में है, उस पर चर्चा होनी चाहिए... (व्यवधान) वर्ष 2005 में जब 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, तो उसी दिन रिपोर्ट दी गई थी और उस समय भी उन 10 लोगों को यहाँ अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था... (व्यवधान) यह रेकॉर्ड पर है... (व्यवधान) जहाँ तक मैं जानता हूँ, माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने उसके ऊपर रूलिंग दी थी... (व्यवधान) ये क्या बात कर रहे हैं? ... (व्यवधान) और ... (*Expunged as ordered by the Chair*) वगैरह कह रहे हैं... (व्यवधान) जो हुआ है, हमारे देश की इतनी बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, मंत्री जी को सुनने की हिम्मत नहीं है... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : अभी हमारी डेमोक्रेसी का जो ... (*Expunged as ordered by the Chair*) है, उस ... (*Expunged as ordered by the Chair*) के बारे में बात करो... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : मैंने क्या ज्यादा मांग की है? ... (व्यवधान) यहाँ पर माननीय रक्षा मंत्री जी हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी जी।

... (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी (आनन्दपुर साहिब): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे वकालत करते हुए 31 साल हो गए हैं। कई बार ऐसा मौका आया है कि जल्दी में बहस करनी पड़ती है। शायद आज पहली बार किसी कागज़ को बगैर संज्ञान में लिये हुए, मैं बहस करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह एक बड़ी विडम्बना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और दो बजे उसकी बहस लगा दी जाती है।

(1415/PC/SRG)

जैसा कि अधीर रंजन जी ने कहा, *Heavens would not have fallen* – आसामान नहीं गिर जाता, अगर तीन-चार दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज़ को, यह जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर, इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर यह सदन फैसला करने जा रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं चार-पांच चीजें, जो बहुत ही बुनियादी हैं, जो नैचुरल जस्टिस से और जो मौलिक अख्तियार हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर मैं जरूर अपनी बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, मेरा पहला सवाल यह है। Can the procedure of the Ethics Committee override the fundamental principle of natural justice which is the organizing principle of every justice system in the world? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हमने जो अखबारों में पढ़ा, उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकलकर आई कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। यह किस तरह का प्रोसीजर है? ... (व्यवधान) यह किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? ... (व्यवधान) इसलिए, नैचुरल जस्टिस का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। इसी के साथ, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, उसको क्रॉस-एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, न सुश्री महुआ मोइत्रा को और न उनके किसी वकील को क्रॉस-एग्जामिन करने का मौका दिया गया।

अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल यह है, मैंने Rule 316(D) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें यह लिखा है, "The recommendations of the Committee shall be presented to the House in the form of a report." अब मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि फौजदारी के कानून में दो चीजों में फर्क है। 'कन्विक्शन' और 'सन्टेंसिंग' में फर्क है। जो एथिक्स कमेटी है, वह यह तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, लेकिन एथिक्स कमेटी यह सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए? There is a fundamental distinction. That power lies with this House. The Ethics Committee at best can make a recommendation whether a person is guilty or a person is innocent. It is this House sitting as a jury which has the powers to decide the quantum of punishment, Mr. Speaker. Therefore, the recommendation of the Ethics Committee is fundamentally flawed in my respectful submission.

अध्यक्ष जी, मेरा तीसरा सवाल है कि आज सारी पार्टियों ने 'श्री लाइन व्हिप' इश्यू किया है। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। Today, this House is sitting as a judge and a jury. In an impeachment proceeding or when you are considering the report of the Privileges Committee or you are considering the report of the Ethics Committee, can a party direct its Members to vote in a particular way? Can a Whip even be issued because this is like directing a Judge to decide a matter in a particular manner? This is a complete travesty of justice.

First of all, Mr. Speaker, Sir, this House should be adjourned. All the Whips should be withdrawn from all the sides because we are not sitting as

ordinary Members of this House. We are sitting as Judges in a Jury in order to decide the fate of one of our hon. colleagues, and I am afraid that cannot be done through whip-driven terror. ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष जी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो मैं बुनियादी सवालों के ऊपर हूँ, रिपोर्ट पर तो मैं आया भी नहीं हूँ। ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल हैं। मैं अगला सवाल आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप संसद में डिबेट कर रहे हैं या कोर्ट में कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष जी, यह कोर्ट है। ... (व्यवधान) Today we are sitting as a court. We are not sitting as a Parliament. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोर्ट नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह संसद है, कोर्ट नहीं है।

... (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Today we are sitting as Judges to decide the fate of one of our colleagues. ... (*Interruptions*)
(1420/RCP/CS)

We are not sitting as a Parliament today. We are sitting as a Judge and a jury. There is a fundamental distinction between the two. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट रुकिए।

माननीय सदस्यगण, यह संसद है, कोर्ट नहीं है। आप सीनियर हैं। आप क्या बोल रहे हैं, यह आप देखिए, आपके दल के नेता देखें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो। यह कोर्ट नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब) : महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं न्यायाधीश नहीं हूँ। मैं सभापति हूँ।

... (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब) : महोदय, मैंने पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल में कभी आपकी बात नहीं काटी है। आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है, पर आज यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक संसद के रूप में नहीं बैठे हैं। Today, we are sitting as a jury, we are sitting as Judges to decide the fate of one of our colleagues. My next question is this. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट रुकिए।

जूडिशिएरी और इस सभा में अंतर है। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। यहाँ मैं निर्णय नहीं कर रहा हूँ, यहाँ निर्णय यह सभा कर रही है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, गलत तरीके के तर्कों को यहाँ पर मत रखिए।

ये चीजें रिकॉर्ड में जाती हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप गलत तरीके से तर्क मत दीजिए। मैं न्यायाधीश नहीं हूँ। मैं सभापति हूँ और यह सभा निर्णय करेगी।

... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : सभी पार्टीज ने व्हिप जारी किया है।... (व्यवधान) हमने थोड़े कहा है कि ऐसे ही वोट करो। हमने तो प्रेजेंट रहने के लिए व्हिप जारी किया है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने कहा है, इसलिए मैंने आपको कहा है। आपने मेरी बात की है, इसलिए मैंने आपको कहा है।

प्लीज, एक मिनट बैठिए। यह सभा निर्णय कर रही है और जब सभा निर्णय करती है तो करती है।

अब आप बोलिए।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या एक न्यायमूर्ति को या न्यायाधीश को यह कहा जा सकता है? Can he be directed to decide in a particular manner? आप टेंथ शेड्यूल के तहत जब व्हिप इश्यू करते हैं, you are virtually directing your Members to decide in a particular manner. It is the complete antithesis of natural justice. ... (Interruptions) The fundamental principles of natural justice have been thrown to the winds in this House. I would urge you that the whip needs to be withdrawn because we are sitting as a jury. ... (Interruptions) The whip needs to be withdrawn. ... (Interruptions)

महोदय, मैंने अपनी जिन्दगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो, न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो तो एक व्हिप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है। अपना विवेक, अपना कॉन्शियस, अपनी सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना, एक पार्टिकुलर तरीके से फैसला करना है।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. हिना विजयकुमार गावीत जी।

... (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): महोदय, मैं अगली बात पर आता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, आप कनक्लूड कर दीजिए।

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Sir, Article 105 of the Constitution gives powers, privileges and immunities to the Members of Parliament. I want to read out Article 105 (2). Article 105 (2) says: "No member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, votes or proceedings."

Article 105 (2) was inserted into the Constitution in order to give complete immunity – I stress the words 'complete immunity' – to a Member for anything said or done in the House. He cannot even be, his conduct cannot even be called into question in a court of law. So, the question is when your conduct cannot be called into question in a court of law, can your conduct be called into question in this august Chamber? ... (*Interruptions*)

(1425/IND/PS)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. हिना गावीत जी

... (व्यवधान)

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): अध्यक्ष जी, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर संसद में चर्चा करनी पड़ रही है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गावीत जी, आप एक मिनट रुक जाइए। मनीष तिवारी जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Hon. Speaker, Sir, my humble submission is, can this august House override the founding Document of India which has brought this House into existence? The answer is 'no'. Article 105 (2) gives absolute immunity for anything done in the House.

Hon. Speaker, Sir, my last point is this. When the hon. Supreme Court of India interpreted Article 105 (2) in P.V. Narasimha Rao's case, they clearly and absolutely said that anything, anything done in this House even if it is allegedly actuated by bribery, cannot be called into question in any court of law.

Therefore, Mr. Speaker, Sir, these proceedings should not have been held. And I would urge you to withdraw ... (*Interruptions*)

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): अध्यक्ष जी, हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने कहा कि एक ही दिन में रिपोर्ट लाए और एक ही दिन में चर्चा लाए। मैं उन्हें याद करवाना चाहती हूँ कि वर्ष

2005 में उनकी सरकार के समय सेम डे रिपोर्ट आई और दस सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था। जो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने यही वर्ष 2005 में किया था।

माननीय अध्यक्ष : उस समय संविधान की धारा 105 नहीं थी!

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): अध्यक्ष जी, देश में यह इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ। वर्ष 1951-52 में श्री मुद्गल जी, जो उस समय माननीय सांसद थे, उन्हें पैसे लेने के आरोप में संसद ने निकाला था। आज जो इंसिडेंट हो रहा है, इससे पहले 13 सांसदों को इसी तरह निकाला गया है, लेकिन आज माननीय सांसद महोदय मोइत्रा जी का जो प्रकरण है, उसमें पिछले प्रकरणों में जमीन-आसमान का फर्क है। इसमें कम्पनी एग्जिस्ट करती है, इसमें बिजनेस मैन एग्जिस्ट करते हैं और मिस्टर हीरानंदानी का नाम रिपोर्ट में आया हुआ है। मैंने दो घंटे में रिपोर्ट पढ़ी है। यहां इतने विद्वान बैठे हैं, पता नहीं कैसे ये दो घंटे में रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरी रिपोर्ट दो घंटे में पढ़ी और मिस्टर हीरानंदानी जो बिजनेस मैन हैं, जिनकी कम्पनी का इंटररेस्ट है और प्रमुख रूप से जिन पांच सेक्टर्स में उनका इंटररेस्ट है – टेलीकॉम, शिपिंग, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम और पाइप लाइन्स। माननीय सांसद, जिनके विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वे सदस्या बनी हैं, तब से लेकर आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चन पूछे हैं। इन 61 क्वेश्चन्स में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं पांच सेक्टर्स में मिस्टर हीरानंदानी से संबंधित विषयों के बारे में पूछे गए हैं। इतना ही नहीं 47 टाइम्स दुबई से इनका एकाउंट लॉग-इन हुआ है। यह भी रिपोर्ट में है। छह बार यूएस, यूके, नेपाल, यहां से एकाउंट लॉग-इन करके क्वेश्चन्स अपलोड किए गए हैं। ये चीज स्वयं माननीय सांसद महोदय ने एथिक्स कमेटी के सामने स्वीकार की है कि उनका आईडी और पासवर्ड स्वयं हीरानंदानी को और उनकी कम्पनी के लोगों को दिया था। यहां जो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, उन्हें मैं याद करवा दूं कि एथिक्स कमेटी के सामने माननीय सांसद महोदय को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला और मिस्टर हीरानंदानी जो इस कम्पनी के प्रमुख हैं और जिनके पास से गिफ्ट और पैसे लेने के आरोप लगे, उसमें मिस्टर हीरानंदानी ने स्वयं एफिडेविट कर एथिक्स कमेटी को दिया है। जो एफिडेविट उन्होंने दिया है, वह इंडियन एम्बेसी के डिप्टी काउंसलेट जनरल, जो दुबई में हैं, उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने यह एफिडेविट दिया है। इसी के साथ मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि यहां बार-बार फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात हो रही है, तो मैं यहां बताना चाहूंगी कि जब हम सांसद बनते हैं, तो हमें मैम्बर्स पोर्टल पर रूल के तहत आईडी और पासवर्ड देने का एक फार्म मिलता है। हम सभी सांसद, चाहे लोक सभा के हों या राज्य सभा के हों, सभी फार्म पर साइन करते हैं और रूल्स में लिखा हुआ है कि हम अपना आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि हर संसद सदस्य उसमें साइन करता है और हम सभी ने उस फार्म पर साइन किया हुआ है। माननीय सांसद ने स्वयं माना है कि उन्होंने अपना आईडी और पासवर्ड दिया। इसके अलावा एक ही दिन में उनका एकाउंट दिल्ली, दुबई, बंगलुरु और यूएस में। चार अलग-अलग शहरों से उनका एकाउंट लॉग-इन हो रहा है। यहां नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं और स्वयं रूल तोड़ रहे हैं। आप माननीय सांसद हैं। आपने खुद एक फार्म साइन किया है कि एक चीज कांफिडेंशियल रखनी है और स्वयं चार अलग-अलग लोगों को शेयर कर रहे हैं। यह प्रूव हो

चुका है। यह पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह संसद की मर्यादा का सवाल है। पार्लियामेंटी प्रोसीजर की रिस्पेक्ट करना हमारा काम है।

(1430/RV/SMN)

हम यहां यह कह रहे हैं कि हम जो भी चर्चा यहां कर रहे हैं या उनकी तरफ से जो कह रहे हैं, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरी दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। इससे एक मैसेज यह जा रहा है कि सांसद अपने सवाल खुद नहीं पूछते, कोई और उनसे पूछने के लिए कहता है। वे अपनी चिट्ठी खुद नहीं लिखते, कोई और उन्हें चिट्ठी लिख कर देता है। वे अपने भाषण खुद नहीं लिखते, कोई और उन्हें लिख कर देता है। इतना ही नहीं, अगर कोई उन्हें पैसे दे तो वे जोर-जोर से, चिल्ला-चिल्ला कर सदन में सवाल पूछते हैं... (व्यवधान) इस तरह से, इस एक इंसिडेंट के कारण सभी सांसदों की छवि खराब हो रही है। मैं यहां आपसे यह बोलना चाहूंगी कि माननीय सांसद के इस अन-एथिकल कंडक्ट के कारण आज सभी सांसदों की छवि देश भर में खराब हुई है। केवल देश भर में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में छवि खराब हुई है। अभी यहां पर कोई द्रौपदी के चीर-हरण की बात कह रहा है, अलग-अलग देवियों का नाम लिया जा रहा है। हम सब यहां सांसद हैं, irrespective of male or female, हम लोग यहां अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हम यहां आकर बैठते हैं। जब हम यहां आते हैं तो हम कंस्टीट्यूशन की ओथ लेते हैं कि हम इस पार्लियामेंट की मर्यादा बनाए रखेंगे, हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का सवाल पूछेंगे और हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधि के नाते यहां आकर बैठते हैं, न कि किसी प्राइवेट एंटीटी का रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट बनकर बैठते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां पर आपसे बड़ी विनम्रता से अनुरोध करूंगी कि यहां एथिक्स कमेटी ने रिस्पॉण्डेंट को सुना है, कम्प्लेनेंट को सुना है, एफीडैविट को भी अच्छी तरह से देखा है और नैचुरल जस्टिस की जो बात हो रही है तो जिन पर आरोप लगे हैं, उनसे भी वहां पर कमेटी ने पूछा है। वे लोग, जो यहां पर बार-बार अपमान करने की बात कहते हैं, तो मैं यहां यह बोलना चाहूंगी कि जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो रिपोर्ट में माननीय सांसद महोदय से जो एफीडैविट प्राप्त हुआ था, उस एफीडैविट के कॉन्टेंट से संबंधित सवाल ही उनसे पूछे गए, उनसे कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा गया, जिनसे उन्हें यह लगे कि यहां पर हमारा चीर-हरण हो रहा है।

महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगी कि कमेटी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय रखे हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। देश को और पूरी दुनिया को हमें यह मैसेज देना है, हमें उनको यह बताना है कि यदि इस संसद का कोई सदस्य अन-एथिकल कंडक्ट करता है, रूल्स एण्ड प्रोसीजर्स के बाहर काम करता है तो यह सदन उस सदस्य को सदन की सदस्यता से बाहर निकालने का काम भी करता है and nobody is above law of the land.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, allegations against Ms. Mahua Moitra have been placed by the hon. Member. Just now, I heard them. Then, who can be the best person to reply to these allegations? It is the Parliament. That speech will be on record. If Ms. Mahua Moitra is not allowed to give her explanation, the Parliament's idea would not be fulfilled. So, I would request you that as a speaker from our Party, Ms. Mahua Moitra be allowed to speak.

माननीय अध्यक्ष : पहले कल्याण बनर्जी जी बोल लें।

कल्याण बनर्जी जी।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): My party's spokesperson will be Ms. Mahua Moitra herself because allegations are against her. Wild allegations have been made.

(1435/SM/GG)

Whether the allegations are true or not, let them be explained by her...

(Interruptions) I think today the House will take a decision to expel her...

(Interruptions) We know it... (Interruptions)

श्री प्रहलाद जोशी : सर, आज माननीय सदस्य के निष्कासन का जो प्रस्ताव आ रहा है, जिसरिपोर्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर एथिक्स कमिटी के माध्यम से पूरी चर्चा हुई है और सभी बिंदुओं के बारे में विचार-विमर्श हुआ है। समिति ने आज अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आपकी अनुमति के साथ रखी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूँ कि इसी सदन में, जब पश्चिम बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, केश फॉर क्वेरी मामले में उस टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपीज़ अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया कि इन लोगों को भी अपना पक्ष रखने के लिए कृपया आप अनुमति दें। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो इंकवायरी कमिटी थी, जिस कमिटी के सामने ये पेश हुए थे, इनकी पूछताछ हुई है, कमिटी पूरी चर्चा कर के निष्कर्ष पर पहुंची है। ... (व्यवधान) इसलिए अभी इस सदन में बोलने के लिए इनका कोई अधिकार नहीं है। ... (व्यवधान) यह स्वयं सोमनाथ चटर्जी जी ने उस टाइम कहा है। ... (व्यवधान) इसीलिए अनुमति दी नहीं गई थी। ... (व्यवधान) अभी भी यह सवाल नहीं उठता है। ... (व्यवधान) यह अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, पुरानी परंपराएं मेरे पास भी पड़ी हुई हैं, जिनका मेंशन संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी किया है। उस समय हमारे पूर्व के अध्यक्ष माननीय सोमनाथ चटर्जी यहां पर थे, प्रणव मुखर्जी भी यहां पर थे। उन सभी के सामने इस विषय पर चर्चा हुई थी। अध्यक्ष जो परंपरा, नियम या जो रूल्स देते हैं, वही हमारे रूल्स माने जाते हैं। उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी

ने यह कहा था कि जिन माननीय सदस्यों के ऊपर ये आरोप लगे हैं, उनको कमिटी में बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका रहता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं टेबल पर रेकॉर्ड रख कर बात करता हूँ। बिना रेकॉर्ड के बात नहीं करता हूँ। अगर आप डिबेट करेंगे तो मैं एक-एक लाइन पढ़ कर सुना दूंगा। मैं रेकॉर्ड पर बोलता हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस सदन में परंपरा रही है कि पुराने अध्यक्षों की जो कुछ भी परंपराएं थी, उनका पालन नए अध्यक्ष हमेशा करते हैं।

... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : स्पीकर के डायरेक्शंस की एक बुक है, उसको पढ़ कर देखो। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, क्या आप नहीं बोल रहे हैं, अगले माननीय सदस्य का नाम बुलाऊं? बोलिए सुदीप जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, on this issue, her speech has been recorded in the Committee ... (*Interruptions*) Now, it is the property of the House. Whom you are going to expel today from 17th Lok Sabha now, is known to everybody ... (*Interruptions*)

Today, they have placed the Report before the Parliament. But the whole report had been exposed to the media long before. It is nothing new today ... (*Interruptions*) It is only the Ethics Committee which has done this wrong thing... (*Interruptions*). They have exposed it before the media and media exposed the Report... (*Interruptions*) It is not that they have submitted the Report today... (*Interruptions*) The Report has been placed against Sushri Mahua Moitra... (*Interruptions*)

One hon. Member has spoken about many allegations against her... (*Interruptions*) Then, what will be the harm in giving her a chance to speak for minimum ten minutes?... (*Interruptions*) Allow her to speak before you expel her... (*Interruptions*) Why will she not be allowed to speak for a few minutes?... (*Interruptions*) What is wrong in it?... (*Interruptions*) Sir, I urge upon you with folded hands to allow her to speak on behalf of Trinamool Congress Party and as a speaker of our Party... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सुदीप जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आप भी वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। उस समय आप भी यहां पर माननीय सदस्य थे। सदन की कुछ परंपराएं हैं। पूर्ववर्ती अध्यक्ष जो कुछ भी अपने वक्तव्य देते हैं, उनको अध्यक्षीय निर्देश बोलते हैं।

(1440/MY/RP)

उस अध्यक्षीय डायरेक्शन का हम हमेशा पालन करते हैं और उसको रूलिंग की तरह मानते हैं। यह हमारी परंपरा रही है। मैं आज कोई नई परंपरा नहीं स्थापित कर रहा हूँ, कोई नई परिपाटी उपस्थित नहीं कर रहा हूँ। अगर यह परंपरा नहीं रहती और मैं नई परंपरा स्थापित करता तो आपको बोलने का अधिकार था। मैं मना नहीं कर सकता था, लेकिन आपने परंपराएं लागू की हैं। आपने परिपाटियाँ लागू की हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैंने आपको बहुत पहले चिट्ठी भी लिखी है। यह जो बात की जा रही है, यह स्टिंग ऑपरेशन थी। इस स्टिंग ऑपरेशन को एक जानेमाने न्यूज साइट कोबरा पोस्ट ने किया था। उसके चलते सारी तस्वीर स्पष्ट थी। चॉक और चीज़ को एक न करें तो बेहतर है... (व्यवधान)

सर, आज आप एक ... (*Expunged as ordered by the Chair*) मत रचिए... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, she will speak only for ten minutes. ... (*Interruptions*) Kindly allow her.

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): सर, उनको अलाउ कीजिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट मेंबर को बुलाऊंगा।

... (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Speaker, Sir, kindly see that a fair trial would only be there when an affected person is being heard. If an affected is not being heard, there cannot be any fair trial.... (*Interruptions*) There cannot be any fair trial. Sir, with great respect to you, whatever I am saying, kindly, do not take it as an exception. This is the Parliament. We are the Members. Today, we are deciding the rights of a person. When we are deciding the rights of a person, then we are all acting as a quasi-judicial body. Before a quasi-judicial body, an affected person should be heard. ... (*Interruptions*) I would like to request you to kindly allow Sushri Mahua Moitra to be heard. That is the request that I am going to make. ... (*Interruptions*)

When we speak, there would be a privilege issue against us but they keep on disturbing us every day.... (*Interruptions*) This is the fundamental principle of law that a person against whom the chargesheet has been brought and persons who are bringing these charges, these charges should be established in according with the procedure of law. Who is the main person? The main person is Darshan Hiranandani. Who has relied upon his statement? His name is Jai Anant Dehadrai. Who has brought it? He is one of the hon. Members, Nishikant Dubey. On what basis is it going on? It is on the basis of an affidavit of Darshan Hiranandani. His affidavit has been brought. Darshan Hiranandani has not even been brought as a witness. His statement has not been testified. This is his affidavit. No affidavit can be relied upon unless that person comes and says: "This is my affidavit. Whatever I am saying or whatever contents are there, are correct." ... (*Interruptions*) Thereafter, Sir, in a quasi-judicial proceeding, right of cross-examination should be given. That is called a fair hearing. The right of hearing is not a fanciful thing. It has to be made a meaningful right. (*Interruptions*) The way they had made these allegations whether it is Jai Anant Dehadrai or Darshan Hiranandani or Nishikant Dubey, in the same way Mahua Moitra is having a right to cross-examine each and every person. (*Interruptions*) But, that has not been allowed. What has happened earlier is not the point, the point is that the law is not made on an island, it is being made in our country on the basis of the interpretations given by the Supreme Court of India. (*Interruptions*) It has been clearly said in various judgements given by the Supreme Court that if an affected person has not been given an opportunity to defend himself or herself in a proper manner, then, it is a violation of the principle of natural justice.

(1445/NKL/CP)

The principles of natural justice are implicit in Article 14 of the Constitution of India. ... (*Interruptions*) Therefore, Sir, not only the right to be heard is being violated but Mahua Moitra ji's right as protected under Article 14 of the Constitution of India has been violated by the Ethics Committee and also today by the House itself. There is a violation. ... (*Interruptions*) The Constitutional violation is being made. ... (*Interruptions*)

Sir, the 2005 cash-for-query case is being repeatedly referred to here. Kindly come to Page No. 18 of the Report of that Committee. Shri Pawan Kumar

Bansal was appointed as the Chairman of the said Committee. At Serial No. 12, it says:

“The Committee examined Shri Anirudh Bahal, Ms. Suhasini Raj and Shri Kumar Badal, representatives of the Portal Cobrapost.com.” ... (*Interruptions*)

सर, आपको टाइम देना होगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कंकलूड करें।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, they were examined. ... (*Interruptions*) Here, Mr. Hiranandani has not been examined at all. ... (*Interruptions*) It is just an eyewash. ... (*Interruptions*) Hon. Minister, you always have the right to speak but kindly excuse me. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप कंकलूड करें।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, please give me time. You are not allowing Mahua Moitra ji to speak. Kindly allow me to speak. ... (*Interruptions*)

Now, Sir, I am coming to what this Report says. At serial No. 43, whatever has been said, who has said it? ... (*Interruptions*) It has not been said by Shri Darshan Hiranandani. ... (*Interruptions*) What Shri Jai has said, everything has been written here. ... (*Interruptions*) Sir, I have some more points. Kindly give me a chance to speak. ... (*Interruptions*) Today, I am just praying before you to kindly render justice to me.

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट में अपनी बात कह दें।

... (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): सर, एक शब्द में नहीं होगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट में अपनी बात कह दें।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, it has relied upon Section 43 of the Information Technology Act. It has been said that it is a violation of Section 43. Let us assume for argument's sake that the allegations are correct. Where does Section 43 say that if password is given to anyone, it is an offence under the Information Technology Act? If anyone uses my computer without my consent, then Section 43 would be applicable here. But that has not been done here. ... (*Interruptions*) Sir, please, for God's sake, give me some time to speak. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप कंकलूड कर दीजिए।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, kindly see the recommendation and the conclusion part. ... (*Interruptions*) According to that, it has been proved that cash has been taken. Where is that? ... (*Interruptions*) Where is this finding based on facts? How much cash has been taken? ... (*Interruptions*) It is not based on evidence. ... (*Interruptions*)

Now, I am coming to a very important question. ... (*Interruptions*)

I will just conclude. ... (*Interruptions*) With great respect to the hon. Speaker and to all the hon. Members of this House, I would like to say that this House does not have the power to remove someone as a Member. The Constitution has provided a provision for disqualification. This provision of disqualification has been provided by the Constitution in Tenth Schedule under Article 102.

(1450/NK/MMN)

It does not come within that. You have the power to suspend a Member under Rule 374 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha itself. Therefore, let us assume for arguments sake, there is no power with the House itself to expel or to remove Sushri Mahua Moitra. The Constitution does not permit this. The rule does not permit this. Even if any precedent has been there, that is contrary to the rules. No precedent or no rule can stand above the Constitutional provisions.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं दो बातें आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं और अनुभवी भी हैं। मुझे बार-बार कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट के लिए प्रोसिजर है, नियम-प्रक्रिया बनी हुई है। नियम-प्रक्रियाओं के तहत जो कमेटी होती है, उस कमेटी के अंदर चर्चा होती है, एविडेंस होते हैं, पक्ष-विपक्ष सुने जाते हैं, वह कमेटी का प्रोसिजर है। पार्लियामेंट में उस कमेटी प्रोसिजर की पालना नहीं होती है। हम यहां पर न्याय नहीं कर रहे हैं, उस कमेटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। आप फिर से बात को समझें, हम कमेटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। ये चीजें कमेटी में होनी चाहिए। कमेटी न्यायालय की तरह काम करती है, सभी का पक्ष सुनती है, लेकिन सदन न्यायालय की तरह काम नहीं करता। यह सदन उस कमेटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है, इस बात पर क्लेयरिटी है न? कोई कन्फ्यूजन है?

मैं आपकी तरह विद्वान वकील नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे अध्यक्ष चुना है तो मैं नियम के तहत बात कर रहा हूँ, बिना नियम के बात नहीं कर रहा हूँ। आप दो बड़े-बड़े वकील हैं, आप तीनों वकील हैं, जस्टिस हैं। ये सब समिति के अंदर चर्चाएं होनी चाहिए, इस हाउस में इसकी थोड़े चर्चा होगी?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये सब प्रोसिजर है, चाहे ऐथिक्स कमेटी हो, विशेषाधिकार कमेटी हो, जितनी भी कमेटियां हैं। कमेटी प्रस्ताव करती है और उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, आप यहां नहीं कह सकते कि न्याय करो, सदन उस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। आप इसे सदन में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, यह सदन उसके लिए नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री गिरिधारी यादव जी।

... (व्यवधान)

श्री गिरिधारी यादव (बांका): अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में खड़ा हुआ हूँ, यह पीड़ादायक है। एक तरफ आप माननीय सदस्या को एक्सपेल कर रहे हैं। यह सदन का दुर्भाग्य है कि हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए बुला लिया गया, लेकिन दर्शन हीरानंदानी, जिसने ऐफिडेविट दिया, उसे नहीं बुलाया तो एमपी उससे नीचे हो गए। निशिकांत जी को क्यों बुलाया गया? यदि ऐफिडेविट पर ही विश्वास करना था तो माननीय निशिकांत जी पर क्यों अविश्वास किया

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Hon. Speaker, Sir, he is a Member of the Committee. मेंबर ऑफ द कमेटी क्या बोल रहे हैं? यह आपके निर्णय के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री गिरिधारी यादव (बांका): अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कमेटी में मांग की थी, कमेटी ने कहा था कि उन्हें भी बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाया गया, वहां कोई चर्चा नहीं हुई। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री हसनैन मसूदी जी क्या आप बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Speaker, there can be no disagreement with the observation made by you that it is not the hon. Speaker who has to take the decision, but it is the House that has to take the decision. That does not mean that we depart from ... (Interruptions)

(1455/SK/VR)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गिरिधारी जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए क्योंकि यहां आपका माइक चालू नहीं होगा।

... (व्यवधान)

श्री गिरिधारी यादव (बांका): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बता रहे हूँ कि आचार समिति के सभापति ने कहा था कि दर्शन हीरा नंदानी को बुलाएंगे। उन्होंने नहीं बुलाया। ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: एथिक्स कमेटी के मैम्बर हैं, ... (व्यवधान) सब एथिक्स कमेटी के मैम्बर्स को मौका देना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप अपराजिता सारंगी को मौका देंगे?

... (व्यवधान)

श्री गिरिधारी यादव (बांका): दानिश जी, हम और हमारे चेयरमैन खड़े थे, लेकिन कोई बात ही नहीं हुई और दो मिनट में मीटिंग खत्म। ... (व्यवधान) उधर से आए और बोले कि डिसेंट नोट दीजिए और डिसेंट नोट भी नहीं लिया। ... (व्यवधान) एकदम फाल्स रिपोर्ट है, कोई चर्चा नहीं, ... (व्यवधान) हमारी प्रतिष्ठा का हनन किया गया। ... (व्यवधान) एमपीज़ को बुलाते हैं और पूंजीपति को नहीं बुलाते हैं जो आरोप लगाता है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, न्याय प्राकृतिक होना चाहिए। ... (व्यवधान) हम जानते हैं आप जिस चेयर पर बैठे हैं, आपको पूरा अधिकार है। ... (व्यवधान) लेकिन आप बताइए कि क्या आपको न्याय दिख रहा है? ... (व्यवधान) न्याय दिख नहीं रहा है। ... (व्यवधान) उनको नहीं बुलाया और हमें बुला लिया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे अधिकार नहीं है, आप फिर गलत बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं बार-बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मेरा अधिकार नहीं है, यह सभा का अधिकार है। आप अपने शब्दों को ठीक से बोलें। मैं न्यायाधीश थोड़े हूँ जो निर्णय कर रहा हूँ। यह सभा का अधिकार है। अगर सभा का अधिकार नहीं होता तो मैं फैसला सुना देता। यह सभा का अधिकार है।

... (व्यवधान)

श्री गिरिधारी यादव (बांका): अध्यक्ष महोदय, ठीक है। ... (व्यवधान)

जहां तक शपथ पत्र की बात है, यह शपथ पत्र नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष पर होना चाहिए। ... (व्यवधान) आप बिना काम के शपथ पत्र पर किसी को सजा नहीं दे सकते। ... (व्यवधान) डॉ. हिना, संसद सदस्या ने पासवर्ड की बात कही। पासवर्ड कभी नहीं दिया गया, पासवर्ड महुआ मोइत्रा जी के पास था, भले ही लॉगिन कहीं से हो। ... (व्यवधान) हमें हमारा पासवर्ड भी याद नहीं है। मेरे पीए के

पास है। मैंने इस बार कोई प्रश्न लोकसभा में इस डर से नहीं किया कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ... (व्यवधान) आज तक मेरा प्रश्न दूसरा कोई तैयार करता था, मैं अपना प्रश्न कभी बनाता नहीं हूँ, बहुत से एमपी नहीं बनाते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे जो दो घंटे में पढ़ लेते हैं, हम भी पढ़-लिखे लोग हैं, लेकिन नहीं पढ़ पाते। मैं अपना प्रश्न कभी तैयार नहीं करता हूँ, मेरा पीए करता है, मेरा और स्टाफ करता है। ... (व्यवधान) मैंने इस बार एक भी क्वेश्चन इस डर से नहीं लगाया क्योंकि लोकतंत्र में डराया गया है। ... (व्यवधान) मैंने नहीं किया, हमको आता ही नहीं है। ... (व्यवधान) हमें तो कम्प्यूटर चलाना नहीं आता है। हम तो लिखकर देना चाहते हैं। ... (व्यवधान) मैं ऐसे करना नहीं जानता तो मैं क्या करूँ? ... (व्यवधान) मैं तीसरी बार सांसद बना हूँ, चार बार एमएलए रहा हूँ, क्या हम बुढ़ापे में सीख सकते हैं? बूढ़ कौआ पोस नहीं मानता है।... (व्यवधान) पुरानी गाय पो लालू जी कहते थे कि नहीं हो सकता ... (व्यवधान) मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, नियम 377 के अधीन मामला बड़ी मुश्किल से डाला, इससे पहले पूरा प्रश्न करता था। ... (व्यवधान) हम नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। ... (व्यवधान) बिना काम की जबरदस्ती है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अपराजिता जी।

... (व्यवधान)

श्री गिरिधारी यादव (बांका): यह मनुस्मृति में कहा गया है कि सबके लिए अलग-अलग कानून होगा। वही मनुस्मृति भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है।... (व्यवधान) यह मनु का धर्म नहीं है, यह मनु का समय नहीं है, लोकतंत्र है। ... (व्यवधान) इसलिए आप लोकतंत्र में ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वह खुद प्रश्न बनाएं और डालें। हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। मैं इस संसद की गरिमा को नहीं गिरने दूंगा क्योंकि मैं यहां का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है मैं सभी माननीय सदस्यों की गरिमा को बनाए रखूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य खुद अपने प्रश्न नहीं बनाते?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या हमारे प्रश्न कोई और बनाता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं?

... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): माननीय अध्यक्ष जी, महुआ मोइत्रा को आप दस मिनट की जगह सात या पांच मिनट बोलने देंगे तो अच्छा रहेगा ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप उनकी बात से सहमत हैं?

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): माननीय अध्यक्ष जी, किस बात पर? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, क्वैश्चन हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन जानता नहीं है कि कैसे करना है। यही बात है। वह एडमिट कर रहा है कि वह नहीं जानता। पीए को पासवर्ड दे देता है, उन्होंने यह बताया। आप एक दिन टेस्ट कराएं सभी मेंबर्स का कि आप अपना पोर्टल खोलकर रिपोर्ट निकालो। ... (व्यवधान) आप दस-दस एमपीज़ को अपने घर में बिठाकर कोशिश करके देखिए। ... (व्यवधान)

(1500/KDS/SAN)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उन्होंने यह भी नहीं कहा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं प्रश्न ही नहीं बनाता हूं।

... (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): सर, आप पुराना सिस्टम चला दीजिए। आप हार्डकॉपी भेजिए।

माननीय अध्यक्ष : हार्डकॉपी भी लिखकर डाल सकते हैं। दोनों हैं, ऑनलाइन भी और हार्ड कॉपी भी।

... (व्यवधान)

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे इस अहम विषय पर बोलने का मौका दिया। ... (व्यवधान) यह विषय बहुत अहम है, क्योंकि यह संसद की मर्यादा के विषय में है। यह विषय अहम है, क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हम संसद की मर्यादा की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं और हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है, तो वह लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करता है। निश्चित तौर पर मैं बड़ी विन्नमता, लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहूंगी कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम इस जिम्मेदारी से चूक करते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठेंगे और विपक्ष के जितने भी मेरे बंधु बैठे हैं, उनसे मैं एक ही प्रश्न करना चाहती हूं कि मैडम महुआ मोइत्रा, माननीय सांसद एवं सहकर्मी ने जो किया, वह सही था या गलत था? हम सब दिल पर हाथ रखकर कहें, संविधान को याद करके कहें कि यह सही था या गलत था? ... (व्यवधान)

मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी कि तीन बैठकें हुईं और इन तीन बैठकों में इन्हें समुचित समय बोलने के लिए दिया गया, लेकिन इन्होंने बदतमीजी की। इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया और वाकआउट कर गयीं। हम सुनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं रखी। ... (व्यवधान) हमने उसके बाद कम्प्लेनेंट और डिसेंडेंट को भी सुना, जिसके पश्चात् हमने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रह्लाद जोशी से प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए अनुरोध करता हूं।

1504 hours

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members left the House.)

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do take up for the consideration the First Report of the Committee on Ethics on complaint dated 15 October, 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mahua Moitra, MP for alleged direct involvement in the cash for query in the Parliament with reference to the examination/investigation of unethical conduct of Shrimati Mahua Moitra, MP laid on the Table of the House on 08 December, 2023.”

The motion was adopted.

**MOTION RE: CONCURRENCE WITH RECOMMENDATIONS
IN FIRST REPORT OF COMMITTEE ON ETHICS**

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I beg to move:

“That this House do agree with the recommendations contained in the First Report of the Committee on Ethics on complaint dated 15 October, 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mahua Moitra, MP for the direct involvement in the cash for query in Parliament with reference to examination/investigation of alleged unethical conduct of Shrimati Mahua Moitra, MP laid on the Table of the House on 08 December, 2023.”

(1505/MK/SNT)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूँ:

The question is:

*“That this House do agree with the recommendations contained in the First Report of the Committee on Ethics on complaint dated 15 October, 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mahua Moitra, MP for the direct involvement in the cash for query in Parliament with reference to examination/investigation of alleged unethical conduct of Shrimati Mahua Moitra, MP laid on the Table of the House on 08 December, 2023.”

The motion was adopted.

माननीय अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप सुश्री महुआ मोइत्रा के निष्कासन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए।

**MOTION RE: EXPULSION OF SHRIMATI MAHUA MOITRA, MP BASED
ON FIRST REPORT OF COMMITTEE ON ETHICS**

1506 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move:

“That this House having taken note of the First Report of the Committee on Ethics on the complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mahua Moitra, MP;

wherein she has been found to be guilty of ‘unethical conduct’ and ‘contempt of the House’ for sharing her Lok Sabha credentials, i.e., user ID and password of Lok Sabha ‘Members Portal’ to unauthorised person and its irrepressible impact on the national security;

wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a Member of Parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interests which is a serious misdemeanour and highly deplorable conduct on her part;

accepts the above recommendation/findings of the Committee and resolves that the continuance of Shrimati Mahua Moitra as Member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the Membership of the Lok Sabha.”

माननीय अध्यक्ष : अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूँ:

The question is:

*“That this House having taken note of the First Report of the Committee on Ethics on the complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mahua Moitra, MP;

wherein she has been found to be guilty of ‘unethical conduct’ and ‘contempt of the House’ for sharing her Lok Sabha credentials, i.e., user ID and password of Lok Sabha ‘Members Portal’ to unauthorised person and its irrepressible impact on the national security;

wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a Member of Parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interests which is a serious misdemeanour and highly deplorable conduct on her part;

accepts the above recommendation/findings of the Committee and resolves that the continuance of Shrimati Mahua Moitra as Member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the Membership of the Lok Sabha.”

The motion was adopted.

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1508 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 11 दिसम्बर 2023 / 20 अग्रहायण 1945 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।